न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

अपील संख्या 181/13

1– सुखराम 2– बाबू पिसरान गंगोल्या जाति बैरवा निवासी संजय कॉलोनी,गंगापुरसिटी।

तारीख रजू– 31/10/13

बनाम

----अपीलार्थीगण

1– प्रहलाद पुत्र श्री गेन्दीलाल जाति बैरवा निवासी संजय कॉलोनी,गंगापुरसिटी।
2– मिश्री पत्नि गौरीशंकर
3– मदन सहाय ।
4– कमलेश । पुत्रान गौरीशंकर जाति मीना निवासी चूली की बगीची,गंगापुरसिटी।
5– छोटेलाल ।
6– राकेश पुत्र गोविन्द जाति बैरवा निवासी संजय कॉलोनी,गंगापुरसिटी।

-----रेस्पोण्डेण्टस

निर्णय

दिनांक– 22/07/15

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट,1955 की धारा 225 के अन्तर्गत तहसीलदार,गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 07/13 मे पारित आदेश दिनांक 25/10/13 जिसके द्वारा रेस्पो० संख्या 2 लगायत 5 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) के अन्तर्गत ग्राम चूली के आराजी खसरा नम्बर 635 रकबा 0.14 हेक्टर, 636 रकबा 0.21 हेक्टर, 637 रकबा 0.83 हेक्टर कुल रकबा 1.18 हेक्टर से बेदखल किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्टस की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अधीनस्थ आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो० संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि ग्राम चूली के हाल खसरा नम्बर 635 रकबा 0.14 हैक्टर, 636 रकबा 0.21 हैक्टर, 637 रकबा 0.83 किता 3 रकबा 1.18 हेक्टर के साबिक खसरा नम्बर 672 है जिसकी खातेदारी नोन्दा पुत्र परसराम जाति बैरवा निवासी कस्बा गंगापुर के नाम थी जो उसने एक कागज के स्टाम्प पर दिनांक 10/12/76 को लिखापढी करके बक्शी पुत्र नानगा बैरवा निवासी गंगापुर ने रूपये के एवज खरीद की थी। इससे पहले 19/06/67 को भी इस बारे मे गेन्दा पुत्र नोन्दा एवं नोन्दा पुत्र परसराम ने 19/06/67 को इकरारनामा खसरा नम्बर 672 के बारे मे किया था जिसमे गंगोल्या पुत्र बक्शी बैरवा से 430/--रूपये लेकर राजीनामा किया था। अपीलार्थी बक्शी पुत्र नानगा बैरवा के वारिसान है। बक्शी के एक लडका गगोल्या हुआ तथा गंगोल्या के तीन लडके सुखराम,बाबू एवं गोविन्द हुए गोविन्द फोत हो चुका है उसका लडका राकेश जो जो रेस्पोण्डेण्ट–6 है तथा अपीलार्थी बक्शी पुत्र नानगा के वारीसान है। विवादित भूमि के एक बीघा रकबे पर अपीलार्थी व रेस्पोण्डेण्ट संख्या 6 का कब्जा काश्त है। रेस्पोण्डेण्ट संख्या 1 ने तथ्यो को छुपाकर अधीनस्त्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) तहत प्रार्थनापत्र पेश किया है उसमे रेस्पोण्डेण्ट 2 लगायत 5 को पक्षकार बनाया है जबकि अपीलार्थी को पक्षकार बनाना चाहिये था। रेस्पो० संख्या 1 का विवादित भूमि मे कोई हक नही है। वह 3 बीघा 15 बिश्वा भूमि दुर्गालाल पुत्र नेतराम को विक्रय कर चुका है तथा एक बीघा रेस्पो० संख्या 1 का पिता अपीलार्थी के पूर्वजो को विक्रय कर चुके है। अपीलार्थी का 12 वर्षो से भी अधिक से कब्जा होने से उनका रेस्पो. संख्या 1 के विरूद्व एडवर्ष पजेशन हो गया है। अपीलार्थी का 12 वर्षो से भी अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थी की ओर से भूमि काश्त करना बताया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

जाँच किये बिना ही आदेश पारित किया है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना चाहिए।

रेस्पोण्डेण्ट के अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि रेस्पो0 2 लगायत 5 ने अपने द्वारा काश्त करना अधीनस्थ न्यायालय में स्वीकार किया है। अतः उनके विरूद्व प्रार्थनापत्र पेश किया है वह सही है। अपीलार्थी ने जिन स्टाम्पो के आधार पर अपनी खातेदारी होने का कथन किया है उस बारे मे यह न्यायालय विचार नहीं कर सकता है। उन्हे पहले अपने नाम खातेदारी की घोषणा करानी चाहिये। अपीलार्थी को कानूनन रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 5 से भूमि काश्त कराने का अधिकार नही है। रेस्पो0 संख्या 1 खातेदार है। अतः उसके द्वारा प्रार्थनापत्र पेश किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिलकुल सही है। अपीलार्थी द्वारा पेश स्टाम्प फर्जी है यदि ऐसे दस्तावेज थे तो उन्हे अब तक खातेदारी की घोषणा करानी चाहिये थी।

रेस्पोण्डेण्ट अधिवक्ता की बहस के जवाब मे अपीलार्थी अधिवक्ता ने बताया कि यदि उक्त प्रार्थनापत्र के निर्णय अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तो अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उनका कब्जा यदि बतौर अतिक्रमी भी माना जावे तो भी उन्हे सुना जाना चाहिये था।

दोनो विद्वान अभिभाषको की बहस को गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पोण्डेण्टस 2 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय मे भी जवाब पेश किया था जिसमे अपीलार्थी एंव रेस्पो0 संख्या 6 की भूमि होना बताया था तथा उनकी ओर से काश्त करना था। इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जॉच नही की गई। प्रार्थी/रेस्पो.संख्या 1 की ओर से कोई गवाह पेश नही हुए। पटवारी के भी बयान नही हुए। केवल रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थनापत्र एवं जवाब उल जवाब पर विचार करके ही निर्णय पारित किया गया। विवादित भूमि का सह खातेदार दुर्गा पुत्र नेतराम रेगर था उसे भी पक्षकार मुकदमा नही बनाया। रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी दुर्गा पुत्र नेतराम के साथ संयुक्त रूप से है। हाल खसरा नम्बर 635,636,637 मे दुर्गा पुत्र नेतराम के कब्जे मे कौनसी भूमि है तथा अपीलार्थी अथवा रेस्पो0 संख्या 1 के कब्जे मे कौनसी भूमि है तय किये बिना बेदखली के आदेश की पालना किया जाना असंभव होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बारे मे कोई विचार नही किया है। रेस्पो0 2 लगायत 5 ने भूमि अपीलार्थी एवं रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से काश्त करना बताया था तो वे आवश्यक पक्षकार होना साबित हो चुका था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध मे जॉच की जानी चाहिये थी अथवा उन्हे पक्षकार बनाया जाना चाहिये था। अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के प्रार्थनापत्र के साथ अपील पेश की है। उनके द्वारा अपील मे जो ग्राउण्ड बताये है उससे वे आवश्यक पक्षकार होना साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25/10/13 अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी के साथ भूमि के सह खातेदार दुर्गा पुत्र नेतराम रेगर को पक्षकार बनाते हुए प्रकरण मे पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार,गंगापुरसिटी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17/07/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर